UPUN010035382026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन 0 डी0 पी0 एस 0 एक्ट /
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उन्नाव।
जमानत प्रार्थना पत्र सं0-1482/2026

रोहित उर्फ टिल्लू पुत्र मिश्री लाल उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम खलसापुर मजरा भौली थाना अजगैन जिला उन्नाव। ..... प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य। ..... अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्या –588/2025
धारा–08/20 एन 0 डी0 पी0 एस 0 एक्ट
थाना–अजगैन, जिला–उन्नाव।

दिनांक 30.06.2026

1. अभियुक्त रोहित उर्फ टिल्लू की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त अभियुक्त मुकदमा अपराध संख्या 588/2025 अन्तर्गत धारा 08/20 एन 0 डी0 पी0 एस 0 एक्ट, थाना–अजगैन, जिला–उन्नाव के प्रकरण में कारागार में निरूद्ध है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 12.12.25 को मैं व 0 उ 0 नि0 मोर मुकुट पाण्डेय मय हमराह उ 0 नि0 रवीन्द्र मालवीय, उ 0 नि0 मो० कल्लन, हे0 का0 रामप्रताप मौर्य, का० कमलेश यादव मय जीप सरकारी UP77G0492 का अस्थाई चालक का० बलराम गोस्वामी के थाना हाजा से रवाना होकर देख भाल क्षेत्र शान्ति व्यवस्था व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में मामूर होकर अजगैन मुन्शी गंज रोड पर तिराहे से 100 मीटर आगे संदिग्ध व्यक्ति एवं संदिग्ध वाहन की चेकिंग किया जा रहा था कि एक व्यक्ति अजगैन से मुन्शीगंज मार्ग की तरफ आता हुआ दिखाई दिया जिसे शक होने पर रोका व टोका गया तो पीछे मुड़कर तेज कदमो से भागने का प्रयास किया तो हम पुलिस वालो ने दौड़कर घेर घार कर हिकमत अमली से पकड़ लिया गया, पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम रोहित उर्फ टिल्लू पुत्र मिश्रीलाल उम्र 28 वर्ष निवासी खलसापुर भौली थाना अजगैन जनपद उन्नाव बताया तथा दाहिने हाथ मे लिए प्लास्टिक के सफेद झोला की तलाशी ली गयी तो हाथ जोड़ कर माफी मांगने लगा और बताया कि साहब झोले में चरस है । चरस होने की जानकारी होने पर अभियुक्त से पूछा गया कि आप अपने झोले की तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी के सामने देना चाहते हो तो उसने कहा कि साहब आप लोगो ने पकड़ लिया है तो आप ही लोग तलाशी ले लिजिये धारा 50 NDPSACT केअन्तर्गत सहमती पत्र तैयार कर अभियुक्त के सहमति से आलामात बनवाये गये। तत्पश्चात अभियुक्त के झोले की तलाशी ली गयी तो झोले के अन्दर काली पन्नी मे रखी हुई दो पैकेट भूरे कलर के टेप से पैकिंग की हुई व दो अदद कालीपन्नी में लिपटी हुई चरस पायी गयी तो अभियुक्त से अवैध चरस रखने भारी मात्रा के सम्बन्ध में पूछा गया तो बताया कि साहब मैं घूम–2 कर इसे बेचता हूँ और उसी रुपया से परिवार का भरण पोषण करता हूँ बेचने व रखने के सम्बन्ध में लाइसेन्स तलब किया गया तो दिखाने से कासिर रहा तथा अभियुक्त के उसके कृत्य जुर्म धारा

8/20 NDPS ACT से अवगत कराया गया तथा उसके लोवर के वाये जेब से 1000 रुपया नगद तथा आधार कार्ड सन्तोष पुत्र कल्लू नि० देविन खेड़ा कुसुम्भी उन्नाव व पेन कार्ड सन्तोष पुत्र कल्लू, ड्राइविंग लाइसेन्स सन्तोष पुत्र कल्लू नि० उपरोक्त बरामद हुआ, बरामद रुपये व आई.डी. कार्ड के बारे मे पूछा गया पहले आना कानी करता रहा कड़ाई से पूछ ताछ की गयी तो बताया कि साहब 10.12.25 को रात 10 बजे देविन खेड़ा मे एक दुकान खूली दिखाई पड़ी दुकान पर कोई नही था तो मै दुकान के अन्दर जाकर गल्ला का बाक्स उठाकर भाग गया था वही पास नहर पर जाकर गल्ले के बाक्स मे रखा 1500/–रुपया व आई.डी. आधार कार्ड, पैन कार्ड व डीएल व कुछ सिक्को को निकाल कर बाक्स को नहर में फेक दिया किस जगह फेंक दिया था मुझे याद नही 500 रुपये व सिक्के खर्च हो गये है। 1000 हजार रुपये बचे है। यह वही चोरी का पैसा है। अभियुक्त को बरामद शूदा नाजायज चरस को मौके पर विवेचना कीट बाक्स से वजन किया गया तो इलेक्ट्रानिक तराजू निकाल कर जिसका बजन 1 किलो 50 ग्राम पाया गया उसी में से 50 ग्राम बतौर नमूना निकाला गया तथा वजन करते से स्वयं व हमराही गणों को एक कोने खूरच कर सुंघा व सुंघाया गया तो चरस की बू आ रही थी। बरामद शुदा माल को उसी पन्नी में रखकर उसी झोले में रखकर सील सर्व मोहर किया किया गया तथा नमूना मोहर तैयार किया गया तथा नमूना माल को एक पारदर्शी डिब्बे में रखकर सील सर्व मोहर कर नमूना मोह तैयार किया गया तथा अभियुक्त को उसके द्वारा किये गये कृत्य 8/20 NDPS ACT से अवगत कराते हुए समय 04:30 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया तथा नावक्त होने के कारण जनता का कोई गवाह नहीं मिल सके दौराने गिरफ्तारी व बरामदगी माननीय सर्वोच्च न्या० व मानवाधिकार आयोग के आदेशों निर्देशो का पालन किया गया है। फर्द मौके पर टार्च व मोबाइल की रोशनी में मुझ व उप 0 नि0 द्वारा बोल–2 कर उ 0 नि0 रवीन्द्र मालवीय से लिखवाई गयी फर्द मौके पर लिखकर पढ़कर सुनाकर सर्व सम्बन्धित के आलामात बनवाये गये तथा गिरफ्तारी प्रपत्र तैयार किया गया तथा सर्व सम्बन्धित के आलामात बनवाये गये तथा अभियुक्त के गिरफ्तारी की सूचना अकब से उसके परिजन को दी जायेगी।

3. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से अपने जमानत प्रार्थना पत्र में इन तथ्यों का उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है मुकदमा हाजा में फर्जी फंसाया गया है। प्रार्थी के पास से कोई मादक पदार्थ बरामद नही हुआ है प्रार्थी पर फर्जी मुकदमा लगाया गया है। प्रार्थी ने ऐसा कोई अपराध कारित नही किया है। प्रार्थी के पास से मादक पदार्थ का कुल वजन 1050 ग्राम दिखाया गया है जबकि प्रार्थी के पास कोई मादक पदार्थ का पैकेट नही था। प्रार्थी के पास से कोई मादक पदार्थ या नशीला पदार्थ बरामद नही हुआ है। कथित दिखाई गयी बरामदगी फर्जी है जिससे प्रार्थी का कोई वास्ता व सरोकार नही है प्रार्थी पूर्ण रूप से निर्दोष है। प्रार्थी एक गरीब व्यक्ति है। प्रार्थी को उपरोक्त अपराध के बारे में कोई जानकारी नही है और न ही प्रार्थी ने यह कृत्य किया है। प्रार्थी पूर्ण रूप से निर्दोष है। प्रार्थी को दिनांक 11.12.2025 को थाना हाजा पर अज्ञात मे दर्ज मु०अ०सं० 587/2025 धारा 305 बी०एन०एस० के मुकदमे में थाना हाजा की पुलिस द्वारा फर्जी तरीके से गिरफ्तार किया गया है व दिखाई गयी बरामदगी फर्जी है महज गुडवर्क दिखाने के चक्कर में प्रार्थी को घर से गिरफ्तार कर प्रार्थी को थाना हाजा की पुलिस द्वारा उक्त मुकदमे मे फर्जी तरीके से संलिप्त किया गया है। उपरोक्त घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नही है। प्रार्थी दिनांक 13.12.2025 से जिला कारागार उन्नाव में निरूद्ध है।प्रार्थी पूर्ण रूप से निर्दोष है। प्रार्थी को सोची समझी साजिश के तहत फंसाया गया है। प्रार्थी के परिवार में कोई पैरोकारी करने वाला नही है प्रार्थी परिवार में अकेला व्यक्ति है। प्रार्थी का जीवन बर्बाद करने के वास्ते प्रार्थी के ऊपर फर्जी मादक पदार्थ व नशीला पदार्थ का मुकदमा लगाया गया है जबकि प्रार्थी

के पास से कोई ऐसा पदार्थ बरामद नही हुआ है। जो भी पदार्थ दिखाया है वह सब फर्जी है। प्रार्थी को इस अपराध के बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्रार्थी अपनी जमानत के वास्ते श्रीमान जी से याचना कर रहा है प्रार्थी के छोटे–छोटे बच्चे है। प्रार्थी की जमानत मंजूर होना अति आवश्यक है। प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इससे पूर्व प्रार्थी का न कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय सत्र न्यायालय उन्नाव या माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में दिया गया है न खारिज हुआ है न ही विचाराधीन है। प्रार्थी जमानत पर छूटने के बाद न तो कही भागेगा और ना ही गवाहान सबूतो पर बेजा असर डालेगा और माननीय न्यायालय के समस्त आदेशो का पालन करेगा। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।

4. थाना अजगैन की आख्या इस आशय की प्रेषित है कि अभियुक्त के पास से 1 किलो 50 ग्राम मादक पदार्थ (चरस) बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी की विडियो बनायी गई। अभियुक्त एक शातीर किस्म का अपराधी है तथा आदती अपराधी है। इस मुकदमें के अतिरिक्त अभियुक्त के विरुद्ध 25 अन्य मुकदमें भिन्न–भिन्न थानों में दर्ज है। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास निम्नवत है (1) मुकदमा अपराध सं0 468/2022 धारा 380/411 भा0 दं0 सं0 थाना अजगैन (2) मुकदमा अपराध सं0 472/2022 धारा 411/413 भा0 दं0 सं0 व धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना अजगैन (3) मुकदमा अपराध सं0 983/2022 धारा 379/411 भा0 दं0 सं0 थाना कोतवाली उन्नाव (4) मुकदमा अपराध सं0 399/2022 धारा 379/411 भा0 दं0 सं0 थाना दही (5) मुकदमा अपराध सं0 192/2023 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना अजगैन (6) मुकदमा अपराध सं0 413/2015 धारा 457/380/411 भा0 दं0 सं0 थाना अजगैन (7) मुकदमा अपराध सं0 276/2016 धारा 379/411 भा0 दं0 सं0 थाना हसनगंज (8) मुकदमा अपराध सं0 298/2016 धारा 411/467/468/471/420 भा0 दं0 सं0 थाना सफीपुर (9) मुकदमा अपराध सं0 180/2018 धारा 41/411 भा0 दं0 सं0 थाना गंगाघाट (10) मुकदमा अपराध सं0 119/2018 धारा 392/411 भा0 दं0 सं0 थाना गंगाघाट (11) मुकदमा अपराध सं0 348/2016 धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट थाना सफीपुर (12) मुकदमा अपराध सं0 299/2016 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सफीपुर (13) मुकदमा अपराध सं0 75/2018 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना गंगाघाट (14) मुकदमा अपराध सं0 234/2019 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना सोहरामऊ (15) मुकदमा अपराध सं0 180/2019 धारा 380/411 भा0 दं0 सं0 थाना सोहरामऊ (16) मुकदमा अपराध सं0 183/2019 धारा 380/411 भा0 दं0 सं0 थाना सोहरामऊ (17) मुकदमा अपराध सं0 208/2019 धारा 380/411 भा0 दं0 सं0 थाना सोहरामऊ (18) मुकदमा अपराध सं0 94/2022 धारा 379/411 भा0 दं0 सं0 थाना सोहरामऊ (19) मुकदमा अपराध सं0 396/2022 धारा 380 भा0 दं0 सं0 थाना अजगैन (20) मुकदमा अपराध सं0 472/2022 धारा 413/411 भा0 दं0 सं0 व 3/25 आयुध अधिनियम थाना अजगैन (21) मुकदमा अपराध सं0 192/2023 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना अजगैन (22) मुकदमा अपराध सं0 547/2025 धारा 115(2), 351(3), 352 बीएनएस थाना अजगैन (23) मुकदमा अपराध सं0 529/2025 धारा 115(2), 351(3), 352/333 बीएनएस थाना अजगैन (24) मुकदमा अपराध सं0 587/2025 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना अजगैन (25) मुकदमा अपराध सं0 286/2025 धारा 115(2), 190, 191(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना माखी। जमानत का प्रबल विरोध है।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एन 0 डी0 पी0 एस 0 एक्ट) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का

प्रबल विरोध किया गया है तथा यह कहा गया है कि अभियुक्त के पास से बरामद नाजायज चरस वाणिज्यिक मात्रा में है। अभियुक्त का थाने द्वारा कुल 26 मुकदमों का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है। अभियोजन द्वारा जमानत का प्रबल विरोध किया गया है।

6. उभयपक्ष को सुनने तथा न्यायालय ए0एस0जे कोर्ट नं0 7 से मूल पत्रावली आहूत करने के पश्चात पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया। पत्रावली व उसमें संलग्न अभियोजन प्रलेख से यह दर्शित है कि पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करने पर अभियुक्त रोहित उर्फ टिल्लू के पास से नाजायज 1 किलो 50 ग्राम चरस बरामद हुआ है जिसको रखने का अभियुक्त के पास कोई लाइसेंस/ परमिट/ प्राधिकार पत्र नहीं था। अभियुक्त के कब्जे से बरामद नाजायज चरस वाणिज्यिक मात्रा में है। थाने द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत अपराध के अतिरिक्त 25 अन्य अपराधों का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है जोकि चोरी, लूट, जैसे गंभीर अपराध से संबंधित है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना उन्नाव की पुलिस द्वारा अन्य प्रकरण में चार बार यूपी गैगेस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवही भी की जा चुकी है। अतः अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मामले के गुणदोष में न जाकर व अभियुक्त के कारित अपराध की गंभीरता व उसके वृहद अपराधिक इतिहास को देखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त रोहित उर्फ टिल्लू का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1482/2026 सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या 588/2025 अन्तर्गत धारा 08/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, थाना–अजगैन, जिला–उन्नाव निरस्त किया जाता है।

दिनांक–30.06.2026

(प्रेम प्रकाश)
विशेष न्यायाधीश, एन0डी0पी0एस0 एक्ट/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उन्नाव
जे0ओ0 कोड– यू0पी0 6506